न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 22/2016 नामान्तरकरण अपील

1. चिरंजीलाल पुत्र हरसहाय उर्फ रामसहाय जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम डाबर खुर्द तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

अपीलांट

बनाम

1. हजारीलाल पुत्र रामकंवार जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम डाबर खुर्द तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ पचवारा जिला दौसा।
3. उप पंजीयक रामगढ पचवारा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध आदेश तहसीलदार रामगढ पचवारा दिनांक 29.2.2016 जो प्रकरण रिमाण्ड नामान्तरकरण संख्या 18 ग्राम डाबर खुर्द पर पारित किया गया है।

उपस्थिति : श्री सतीश कुमार पारीक अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित।
: श्री अशोक जोशी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं0 1 उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 9.2.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम डाबर खुर्द तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा नं0 14, 26, 31 नये खसरा नं0 43/26 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं0 45/31 रकबा 21 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं0 41/14 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा के सम्बन्ध में नामा0 सं0 18 दिनांक 4.5.1989 को तस्दीक किये गये नामान्तरकरण की एक अपील कन्हैयालाल, चिरंजीलाल, कैलाशप्रसाद, सुरेशचन्द पि0 रेवडमल जाति ब्राह्मण निवासी डाबर खुर्द द्वारा मूलचन्द पुत्र झूंथलाल, हजारीलाल पुत्र रामकंवार, सीताराम पुत्र छाजूलाल, रामावतार पुत्र छाजूलाल व राजस्थान सरकार के विरूद्ध नामा0 अपील सं0 31/09 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। इन्ही पक्षकारों द्वारा उक्त भूमि के सम्बन्ध में एक वाद न्यायालय सहायक कलक्टर लालसोट के समक्ष अधिघोषणा बाबत् प्रस्तुत किया गया। इन तथ्यों को छुपाते हुए एक अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 6.2.2013 को राजस्थान सरकार को पक्षकार बनाकर प्रस्तुत कर दी जो दिनांक 2.2.2016 को तहसीलदार रामगढ पचवारा को रिमाण्ड की गई तथा निर्देश दिये गये कि पक्षकारान को सुनवाई सबूत का समूचित अवसर दिया जाकर एक माह में निर्णय पारित करे। उक्त निर्णय की पालना में श्रीमान के निर्देशों की पालना किये बिना ही अपीलान्ट व पक्षकारो को बिना सुनवाई व सबूत व अवसर दिये बिना ही दिनांक 29.2.2016 को हजारीलाल को अनुचित लाभ पहुंचाने की गरज से निर्णय पारित कर अपीलान्ट के पिता का नाम खातेदारी से हटाने का आदेश दे दिया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा नामा0 सं0 18 ग्राम डाबर खुर्द पर पारित आदेश दिनांक 29.2.2016 को निरस्त करवाने हेतु यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि इस न्यायालय में अपील सं0 2/2013 जो नामा0 सं0 18 दिनांक 4.5.1989 तहसीलदार लालसोट के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी जिसमे रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने नामान्तरकरण सं0 18 के समस्त पक्षकारो को पक्षकार नही बनाया, मात्र राजस्थान सरकार को ही पक्षकार बनाकर अपील पेश की जिसके रिमाण्ड होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने किसी भी पक्षकार को नोटिस जारी किये बिना ही तथा सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना ही मनमाना निर्णय पारित कर दिया। जिसमे प्रभु, रामसहाय पि0 नारायण का नाम विलोपित कर दिया गया। प्रकरण में वादी सं0 9 रामसहाय व हरसहाय एक ही व्यक्ति है जिसका अपीलान्ट वारिस है। किन्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई सबूत का अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित कर दिया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2062 से 65 ग्राम डाबर खुर्द खाता नं0 20, 21, 22 में भी हरसहाय पुत्र नारायण अंकित किया गया है तथा हरसहाय की विरासत का नामान्तरकरण अपीलान्ट चिरंजीलाल व उसकी माता के नाम खोला गया है। इस प्रकार अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिये जाने से प्रश्नगत आदेश दिनांक 29.2.2016 निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर नामा0 सं0 18 ग्राम डाबर खुर्द तहसील रामगढ पचवारा पर पारित आदेश दिनांक 29.2.2016 निरस्त फरमावे।

जवाब बहस के दौरान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं0 1 द्वारा निवेदन किया गया कि रेस्पोडेन्ट सं0 1 हजारीलाल व अन्य द्वारा दिनांक 29.1.1976 को एक वांद इस्तकरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा तथा दुरूस्ती इन्द्राज बाबत् भूमि खसरा नं0 14, 26, 31 नये खसरा नं0 43/26 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं0 45/31 रकबा 21 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं0 41/14 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम डाबर खुर्द बाबत् न्यायालय उप जिलाधीश दौसा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिसमे न्यायालय द्वारा दिनांक 15.4.1980 को वादीगण अपीलान्ट 1 लगायत 8 के पक्ष में डिक्री फरमाते हुये उन्हे आराजीयात का मुताबिक वाद खातेदार घोषित किया गया था। उक्त निर्णय दिनांक 15.4.1980 के मुताबिक रामसहाय तथा प्रभुसिंह को बतौर खातेदार घोषित नही किया था। इसके बावजूद भी तहसीलदार लालसोट द्वारा मुताबिक डिक्री नामान्तरकरण तस्दीक किया तो प्रभु, रामसहाय का नाम भी बतौर खातेदार अंकित कर दिया। उक्त नामा0 सं0 18 दिनांक 4.5.1989 के विरूद्ध अपील न्यायालय अति0 जिला कलक्टर दौसा में किये जाने पर अपील सं0 2/2013 उनवानी हजारीलाल बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 2.2.2016 के द्वारा अपील स्वीकार कर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट को रिमाण्ड किया गया कि प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई सबूत का समूचित अवसर दिया जाकर एक माह में निर्णय पारित करे। जिसकी पालना में तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा प्रश्नगत नामा0 से सम्बन्धित पक्षकारो व उनके विधिक वारिसान की रिपोर्ट प्राप्त कर उनको नोटिस जारी कर विधिवत सुनवाई व सबूत का अवसर दिया जाकर दिनांक 29.2.2016 को निर्णय पारित किया जिसमे उप जिलाधीश दौसा के निर्णय दिनांक 15.4.1980 के अनुसार वादीगण अपीलान्ट 1 लगायत 8 के पक्ष में वाद डिक्री किया होने एवं रामसहाय व प्रभुलाल को खातेदार घोषित नही किया होने से नामा0 सं0 18 दिनांक 4.5.1989 का अमल सक्षम न्यायालय उप जिलाधीश दौसा के निर्णय दिनांक 15.4.1980 के अनुसार करने के आदेश देते हुये उक्त नामान्तरकरण में से प्रभु, रामसहाय पि0 नारायण का नाम विलोपित करने के आदेश दिये गये है। उक्त निर्णय दिनांक 29.2.2016 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है। चूंकि तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 29.2.2016 न्यायालय उप जिलाधीश दौसा के निर्णय दिनांक

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

15.4.1980 एवं डिक्री की सही रूप से पालना हेतु पारित किया गया है। अतः उक्त आदेश की अपील इस न्यायालय में पुनः किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अपीलान्ट द्वारा न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त जयपुर में न्यायालय अति0 जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 2.2.2016 के विरूद्ध अपील पेश की गई थी। जो दिनांक 16.1.2018 को खारिज हो चुकी है। न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा पारित निर्णय में यह स्पष्ट किया गया है कि दावे में उपखण्ड अधिकारी दौसा द्वारा वादी सं0 1 से 8 को खातेदार घोषित किया गया था विधिक रूप से उनके नाम ही प्रश्नगत नामा0 तस्दीक घोषित होना चाहिए था, लेकिन तहसीलदार द्वारा प्रश्नगत नामा0 वादी सं0 1 से 8 की बजाय 1 से 10 यानी वादी सं0 9 एवं 10 रामसहाय व प्रभूलाल के नाम भी प्रश्नगत नामा0 तस्दीक कर दिया जो विधिक नही होने से अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा निरस्त कर प्रकरण पक्षकारान को सुनवाई सबूत का समुचित अवसर दिया जाकर एक माह में निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार लालसोट को प्रतिप्रेषित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अपीलाधीन आदेश की अनुपालना में तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा आदेश दिनांक 29.2.2016 पारित कर प्रभु व रामसहाय का नाम विलोपित करने का नोट नामा0 की पुस्त पर अंकित कर दिया है। अपीलान्ट के यदि विवादित भूमि में कोई हित निहित है तो उन्हे दावे में उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय के खिलाफ सक्षम न्यायालय में अपील कर चाराजोही करनी चाहिये थी। अतः उक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 29.2.2016 न्यायालय उप जिलाधीश दौसा के निर्णय दिनांक 15.4.1980 एवं डिक्री की सही रूप से पालना हेतु पारित किया गया है। जिसकी पुष्टि अपीलेट न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय जयपुर द्वारा भी अपने निर्णय दिनांक 16.1.2018 में की गई है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दीयो से अपीलान्ट द्वारा स्वयं को रामसहाय उर्फ हरसहाय का वारिस होना साबित करने का प्रयास किया गया है किन्तु विचाराधीन प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा वादी सं0 9 एवं 10 का प्रश्नगत भूमि का खातेदार ही घोषित नहीं किया गया है तो उसके वारिसान को इस अपील में साबित करने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा
दौसा

निर्णय आज दिनांक 9.2.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा
दौसा